सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 279/17 **निर्णय दिनांकः 16–08–2019**

1. बख्ताराम पुत्र ईशवरराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 आरएम खरबारा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. नारायण सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी चक 1 आरएसएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28–10–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

<u>उपस्थिति :–</u>

1. श्री मनोज नायक, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 28–10–2016 जिसके द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि व सरकारी स्कूल स्थिति भूमि का आवंटनरेस्पोडेन्ट् को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 3 आरएम के मुरब्बा नम्बर 151/16 की 25 बीघा भूमि पर एक सरकारी स्कूल 5 बीघा भूमि पर एवं लगभग 100 मकान, मंदिर व श्मशान आदि बने हुए है। जिस पर अपीलांट सहित सैकड़ों लोग परिवार सहित आबाद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। प्रकरण में जब यह तथ्य निर्विवाद था कि वादग्रस्त भूमि के मौके पर ग्रामवासियों हेतु स्कूल, मंदिर व श्मशान आदि बने हुए है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त भूमि के आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए थी। आवंटन अधिकारी ना तो मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट्स व अन्य ग्राम वासियों को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट व अन्य ग्राम वासियों द्वारा वादग्रस्त भूमि को रिकार्ड में आबादी हेतु आरक्षित करने प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये जा चुके है। ऐसीस्थिति में बिना रिपोर्ट प्राप्त किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही व मौके की जॉच किये बिना, हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त किये बिना केवल मात्र राजस्व रिकार्ड को देखकर आनन—फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया वादग्रस्त भूमि के नियमन हेतु अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है जोकि वर्तमान में जैरकार है। परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई गौर किये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश स्पष्ट रूप से विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट व अन्य ग्राम वासियों द्वारा वादग्रस्त भूमि को आबादी हेतु आरक्षित करने हेतु प्रार्थना पत्र जैरकार था तथा आराजी जैर पर

अपीलांट का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी व मियांद पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—10—2017 के विरूद्व अपील दिनांक 23—08—2017 को पेश की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियांद अधिनियम में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15—07—2017 को होना अंकित किया गया है, परन्तु उक्त जानकारी किस आधार पर प्राप्त हुई है इसका कतई उल्लेख मियांद प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपीलांट को मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान की जा सके।

उन्होनें आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलांट आदेश जैर अपील से किस प्रकार व्यथित है, साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः अपीलांट की अपील मियांद व लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 3 आरएम के मुरब्बा नम्बर 151/6 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु वर्ष 2007 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर अन्य किसी आवेदक का प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं होने व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत यथा मूल निवास प्रमाण पत्र, सद्भावी काश्तकार का सबूत, वोटर लिस्ट आदि प्रस्तुत किये जाने पर व वादग्रस्त भूमि के बाबत् अन्य किसी प्रकार का कोई विवाद व स्थगन नहीं होने के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई है तथा आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद/लोकस स्टेण्डाई व गुणावगुण पर खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2002 पेज 696, आरआरसी 1991 पेज 80 व डब्ल्यूएलएन 1989 पार्ट I पेज 195 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम यह तय किया जाना है कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त है अथवा नहीं? अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करते हुए प्रभावित पक्षकार के रूप में धारा 96 सीपीसी की दरखवाश्त अपील के साथ पेश नहीं की गई है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दौराने अपील आपत्ति प्रस्तुत करने पर अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी की दरखवाश्त पेश की गई है, परन्तु उक्त दरखवाश्त में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलांट प्रत्यक्ष रूप से आदेश जैर अपील के माध्यम से किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत

न्यायिक दृष्टांत आरआरसी 1991 पेज 80 में अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा पक्षकार जो आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं था ना ही उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त की गई है। ऐसीस्थिति में ऐसे पक्षकार को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। मामलें पर पूर्णतया लागू होती है।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—10—2016 के विरूद्व अपील दिनांक 23—08—2017 को पेश की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट का कथन कि आवंटित भूमि पर विद्यालय निर्मित है तथा आबादी बसी हुई है। परन्तु विद्यालय या आबादी भूमि पर आवंटन किये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन करने का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट आदेश जैर अपील से किस प्रकार व्यथित है साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है।

7. उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—10—2016 बहाल रखा जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 16—08—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर